रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2016/फाल्गुन 14, 1937
No. 583] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2016/PHALGUNA 14, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2016

का.आ. 675(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 20 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग से परामर्श करके, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, आस्तियों के मूल्य और व्यापारावर्त के मूल्य में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजनों के लिए सौ प्रतिशत तक वृद्धि करती है।

[फा. सं. 5/7/2013-सीएस]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2016

S.O. 675(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 20 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government in consultation with the Competition Commission of India, hereby enhances, on the basis of the wholesale price index, the value of assets and the value of turnover, by hundred per cent for the purposes of section 5 of the said Act, from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 5/7/2013-CS]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

1129 GI/2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.